[2021] 7 एस. सी. आर 660

राज्य कर और राजस्व के सहायक आयुक्त

अन्य

वी.

एम/एस। वाणिज्यिक स्टील सीमित

(2021 की सिविल अपील संख्या 5121)

सितंबर 03,2021

[डॉ. धनंजय वाई चंद्रचूड़,

विक्रम नाथ और हिमा कोहली, जे. जे.]

भारत का संविधान-Ar.226-केंद्रीय वस्तु एवं सेवा कर अधिनियम 2017 - s.107-राजस्व का मामला जो एक की आड़ में

अंतर-राज्यीय बिक्री, प्रतिवादी एस. जी. एस. टी. और सी. जी. एस. टी. से बचकर स्थानीय बाजार में माल बेचने का प्रयास कर रहा था-निरोध का आदेश जारी किया गया था और परिवहन के प्रभारी व्यक्ति को एक नोटिस जारी किया गया था-प्रतिवादी ने कर और जुर्माना का भुगतान किया, जिसके बाद माल और परिवहन जारी किया गया था-प्रतिवादी द्वारा लिखित याचिका दायर की गई थी-उच्च न्यायालय ने ब्याज के साथ कर और दंड के लिए एकत्र की गई राशि को वापस करने का आदेश दिया-सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष, अपीलकर्ता ने तर्क दिया कि उच्च न्यायालय संविधान के यू/आई. डी. 1 के तहत रिट याचिका पर विचार करने में गलती कर रहा था, जो कि कानूनी वैकल्पिक उपाय के संबंध में उपलब्ध है। सी. जी. एस. टी. अधिनियम की s.107: प्रत्यर्थी के पास एक वैधानिक उपाय था s.107-उपचार का लाभ उठाने के बजाय, प्रत्यर्थी ने यू/Art.226 के तहत एक याचिका दायर की-एक वैकल्पिक उपचार का अस्तित्व संविधान के यू/Art.226 के तहत एक रिट याचिका की रखरखाव के लिए एक पूर्ण बाधा नहीं है-लेकिन एक रिट याचिका पर असाधारण परिस्थितियों में विचार किया जा सकता है जहांः (i) मौलिक अधिकारों का उल्लंघन; (ii) प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों का उल्लंघन; (iii) अधिकार क्षेत्र की अधिकता; या (iv) क़ानून या प्रत्यायोजित विधान के अधिकारों को चुनौती-तत्काल मामले में, कोई भी अपवाद स्थापित नहीं किया गया था-प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों का कोई उल्लंघन नहीं हुआ था, क्योंकि हस्तांतरण के प्रभारी व्यक्ति को नोटिस दिया गया था-उच्च न्यायालय के लिए एक रिट याचिका पर विचार करना उचित नहीं था-इसलिए, प्रतिवादी को वैकल्पिक वैधानिक उपचार का पीछा करने के लिए हटा दिया गया था। 107 सी. जी. एस. टी. अधिनियम-उच्च न्यायालय के विवादित आदेश को खारिज कर दिया जाता है।

660 राज्य कर और अन्य का सहायक आयुक्त v. एम/एस। वाणिज्यिक स्टील लिमिटेड। [डॉ. धनंजय चंद्रचूड़, जे.]

सिविल अपीलीय न्यायनिर्णयः सिविल अपील No.5121

2021 .

तेलंगाना राज्य के लिए हैदराबाद में उच्च न्यायालय के निर्णय और आदेश दिनांक 04.03.2020 से लिखित याचिका में

2020 का No.2161। प्रशांत त्यागी, पी. वेंकट रेड्डी, पी. श्रीनिवास रेड्डी, मैसर्स वेंकट पलवाई लॉ एसोसिएट्स, अधिवक्ता। अपीलार्थियों के लिए।

शेख मोहम्मद हनीफ, श्रीमती श्रीलक्ष्मी वेलिचेटी, श्रीमती दिव्या मिश्रा, श्रीमती सुरेश कुमार, इरशाद अहमद, अधिवक्ता। उत्तरदाता के लिए।

न्यायालय का निर्णय इसके द्वारा दिया गया था

डॉ. धनंजय वाई. चंद्रचूड़, जे.

1. छुट्टी दे दी गई।

2. यह अपील 4 मार्च 2020 को तेलंगाना उच्च न्यायालय की एक खंड पीठ के फैसले से उत्पन्न होती है। 3. उच्च न्यायालय ने संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत अपने रिट अधिकार क्षेत्र का प्रयोग करते हुए केंद्रीय वस्तु एवं सेवा कर अधिनियम 2017 (सी. जी. एस. टी.) और राज्य वस्तु एवं सेवा कर अधिनियम (एस. जी. एस. टी.) के तहत कर और जुर्माने के लिए प्रतिवादी से आई. डी. 1 की राशि एकत्र करने में अपीलकर्ताओं की कार्रवाई को दरकिनार कर दिया और 13 दिसंबर 2019 से 6 प्रतिशत प्रति वर्ष की दर से ब्याज के साथ धनवापसी का निर्देश दिया। सहायक के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्यवाही शुरू करने पर विचार करने के लिए तेलंगाना राज्य को एक और निर्देश जारी किया गया है।

कमिश्नर। प्रथम अपीलार्थी, जो उच्च न्यायालय के समक्ष प्रथम प्रतिवादी था, पर 25,000 रुपये का जुर्माना लगाया गया है। 4. प्रत्यर्थी लोहा और इस्पात के व्यवसाय में लगी एक स्वामित्व वाली संस्था है और केंद्रीय वस्तु एवं सेवा के तहत पंजीकृत है।

कर अधिनियम 2017 और एक जी. एस. टी. कोड आवंटित किया गया है। प्रत्यर्थी ने 11 दिसंबर 2019 को एक कर चालान के तहत एक डीलर, जे. एस. डब्ल्यू. स्टील लिमिटेड, विद्यानगर, कर्नाटक से कुछ सामान खरीदे। द.

माल की खेप को पंजीकरण संख्या के. ए. 35 सी. 0441 वाले ट्रक में ले जाया जा रहा था। जब यह कर्नाटक राज्य से आगे बढ़ रहा था, तो इसे 12 दिसंबर 2019 को शाम 5:30 बजे जीदीमेटाला में रोक लिया गया। द.

कर चालान ने संकेत दिया कि माल को बालानगर, तेलंगाना में वितरण के लिए निर्धारित किया गया था। अपीलार्थियों का मामला यह है कि बालानगर कर्नाटक राज्य और जीदीमेतला के बीच स्थित है और वह संख्या

समझदार व्यक्ति बालानगर को पार करता और फिर गंतव्य स्थान पर वापस जाने के लिए मुड़ जाता। वस्तुओं का खरीद मूल्य कर चालानों से 11,14,579 रुपये की राशि में प्रतीत होता है।

5. राजस्व का मामला यह था कि अंतर-राज्यीय बिक्री की आड़ में प्रतिवादी स्थानीय बाजार में माल बेचने का प्रयास कर रहा था।

एसजीएसटी और सी. जी. एस. टी. से बचकर। 12 दिसंबर 2019 को फॉर्म जी. एस. टी. एम. ओ. वी.-06 में निरोध का आदेश जारी किया गया था और परिवहन के प्रभारी व्यक्ति को नोटिस जारी किया गया था। प्रत्यर्थी ने कर और जुर्माने का भुगतान किया, जिसके बाद 13 दिसंबर 2019 को माल और परिवहन जारी किया गया।

निष्कर्ष यह है कि चूंकि वाहन कर्नाटक से चलाया जा रहा था उस राज्य के स्थानीय चालक ने कहा कि हैदराबाद में "सड़कों से अपरिचित होने के कारण चालक के लिए रास्ता भटकना पूरी तरह से संभव है" और बालानगर को बायपास करके जीदीमेटाला की ओर बढ़ना संभव है।

8. अपीलार्थी की ओर से पेश वकील श्री प्रशांत त्यागी ने कहा कि उच्च न्यायालय ने रिट याचिका पर विचार करने में गलती की थी

संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत, वैधानिक को ध्यान में रखते हुए

वैकल्पिक उपाय जो सी. जी. एस. टी. अधिनियम की धारा 107 के तहत उपलब्ध है। वकील ने आग्रह किया कि हालांकि क़ानून के तहत एक वैकल्पिक उपचार का अस्तित्व अनुच्छेद 226 के तहत एक रिट याचिका की रखरखाव के लिए एक पूर्ण बाधा नहीं है, लेकिन इस न्यायालय के फैसलों द्वारा प्रतिपादित अपवादों में से कोई भी इस मामले में लागू नहीं होता है। इसलिए, यह आग्रह किया गया है कि उच्च न्यायालय को रिट याचिका पर विचार नहीं करना चाहिए था। गुण-दोष पर, यह प्रस्तुत किया गया है कि उच्च न्यायालय अनुमानों के आधार पर आगे बढ़ा है।

राज्य कर और अन्य का सहायक आयुक्त v. एम/एस। एम. एम. ई. आर. सी. आई. एल. स्टील लिमिटेड। [डॉ. धनंजय वाई. चंद्रचूड़, जे.]9. दूसरी ओर, श्री शेख मोहम्मद हनीफ ने स्वयं प्रतिवादी के लिए यह आग्रह किया कि उच्च न्यायालय ने याचिका पर विचार करने के बाद, हिरासत को दरकिनार करने और दबाव में कर और जुर्माना वसूलने के गुण-दोष के आधार पर इसे उचित ठहराया। ङ, यह आग्रह किया जाता है कि इस न्यायालय का कोई हस्तक्षेप आवश्यक नहीं है।

10. धारा 107 नीचे निकाली गई हैः

" 107. अपीलीय प्राधिकरण को अपील-(1) कोई भी व्यक्ति

ऐसा अपीलीय प्राधिकरण जो उस तारीख से तीन महीने के भीतर निर्धारित किया जाए जिस दिन उक्त निर्णय या आदेश ऐसे व्यक्ति को सूचित किया जाता है। (2) आयुक्त अपने स्वयं के प्रस्ताव पर या अनुरोध पर कर सकता है।

राज्य कर आयुक्त या केंद्र शासित प्रदेश कर आयुक्त से, ऐसी किसी भी कार्यवाही के अभिलेख की मांग और जांच करें जिसमें किसी न्यायनिर्णायक प्राधिकारी ने इस अधिनियम या राज्य वस्तु एवं सेवा कर अधिनियम या केंद्र शासित प्रदेश वस्तु एवं सेवा कर अधिनियम के तहत कोई निर्णय या आदेश पारित किया हो।

उक्त निर्णय या आदेश की वैधता या औचित्य के बारे में स्वयं को संतुष्ट कर सकता है और आदेश द्वारा, उसके अधीनस्थ किसी भी अधिकारी को छह महीने के भीतर अपीलीय प्राधिकरण को आवेदन करने का निर्देश दे सकता है।

इस तरह के आवेदन को अपीलीय प्राधिकरण द्वारा इस तरह निपटाया जाएगा जैसे कि यह न्यायनिर्णायक प्राधिकरण के निर्णय या आदेश के खिलाफ की गई अपील हो और ऐसा अधिकृत अधिकारी अपीलार्थी और अपीलों से संबंधित इस अधिनियम के प्रावधान

इस तरह के आवेदन पर आवेदन करें।

(4) अपीलीय प्राधिकरण, यदि वह संतुष्ट है कि अपीलार्थी को अपील प्रस्तुत करने से पर्याप्त कारण से रोका गया था तीन महीने या छह महीने की उपरोक्त अवधि के भीतर, जैसा भी मामला हो, इसे आगे की अवधि के भीतर प्रस्तुत करने की अनुमति दें।

एक महीना।

(5) इस धारा के तहत प्रत्येक अपील ऐसे रूप में होगी और ऐसी तरीके से सत्यापित की जाएगी जो निर्धारित की जाए।

(6) जब तक अपीलार्थी ने भुगतान नहीं किया है, तब तक उप-धारा (1) के तहत कोई अपील दायर नहीं की जाएगी।

(क) आक्षेपित आदेश से उत्पन्न कर, ब्याज, जुर्माना, शुल्क और जुर्माने की राशि का पूरा हिस्सा, जैसा कि उसने स्वीकार किया है;

और

((b) दस प्रतिशत के बराबर राशि। उक्त आदेश से उत्पन्न विवाद में कर की शेष राशि, अधिकतम पच्चीस करोड़ रुपये के अधीन, जिसके संबंध में अपील दायर की गई है:

बशर्ते कि धारा 129 की उप-धारा (3) के तहत किसी आदेश के खिलाफ कोई अपील दायर नहीं की जाएगी, जब तक कि पच्चीस प्रतिशत के बराबर राशि न हो। जुर्माने का भुगतान अपीलार्थी द्वारा किया गया है।

(7) जहां अपीलार्थी ने उप-धारा (6) के तहत राशि का भुगतान किया है, वहां शेष राशि के लिए वसूली की कार्यवाही पर रोक लगा दी गई मानी जाएगी।

(8) अपीलीय प्राधिकरण अपीलार्थी को सुनवाई का अवसर देगा। (9) अपीलीय प्राधिकरण, यदि किसी अपील की सुनवाई के किसी भी चरण में पर्याप्त कारण दिखाया जाता है, तो पक्षों या उनमें से किसी को समय दे सकता है और लिखित रूप में दर्ज किए जाने वाले कारणों के लिए अपील की सुनवाई को स्थगित कर सकता है:

बशर्ते कि अपील की सुनवाई के दौरान किसी पक्ष को ऐसा कोई स्थगन तीन बार से अधिक नहीं दिया जाएगा।

(10) अपीलीय प्राधिकरण, किसी अपील की सुनवाई के समय, किसी अपीलार्थी को अपील के आधार में निर्दिष्ट नहीं किए गए किसी भी आधार को जोड़ने की अनुमति दे सकता है, यदि वह संतुष्ट है कि अपील के आधार से उस आधार को छोड़ना जानबूझकर या अनुचित नहीं था। (11) अपीलीय प्राधिकरण, ऐसी आगे की जांच करने के बाद, जो आवश्यक हो, ऐसा आदेश पारित करेगा, जो वह न्यायसंगत और उचित समझता है, जिसके खिलाफ अपील किए गए निर्णय या आदेश की पुष्टि, संशोधन या रद्द करता है, लेकिन मामले को उस न्यायनिर्णायक प्राधिकरण को वापस नहीं भेजेगा जिसने उक्त निर्णय या आदेश पारित किया था:

राज्य कर और अन्य का सहायक आयुक्त V. एम/एस। एम. एम. ई. आर. सी. आई. एल. स्टील लिमिटेड। [डॉ. धनंजय चंद्रचूड़, जे.]

बशर्ते कि अधिक मूल्य के माल को जब्त करने या जब्त करने या धनवापसी या इनपुट टैक्स क्रेडिट की राशि को कम करने के बदले में किसी भी शुल्क या जुर्माने या जुर्माने को बढ़ाने का आदेश तब तक पारित नहीं किया जाएगा जब तक कि अपीलार्थी को प्रस्तावित आदेश के खिलाफ कारण दिखाने का उचित अवसर नहीं दिया गया है: बशर्ते कि जहां अपीलीय प्राधिकरण का है

यह राय कि किसी भी कर का भुगतान नहीं किया गया है या अल्प-भुगतान या गलती से धनवापसी नहीं की गई है, या जहां इनपुट टैक्स क्रेडिट का गलत तरीके से लाभ उठाया गया है या उपयोग किया गया है, कोई भी आदेश तब तक पारित नहीं किया जाएगा जब तक कि अपीलार्थी को प्रस्तावित आदेश के खिलाफ कारण दिखाने के लिए नोटिस नहीं दिया जाता है और आदेश धारा 73 या धारा 74 के तहत निर्दिष्ट समय सीमा के भीतर पारित किया जाता है।

बशर्ते कि जहां किसी न्यायालय या न्यायाधिकरण के आदेश द्वारा आदेश जारी करने पर रोक लगाई जाती है, वहां इस तरह की रोक की अवधि को एक वर्ष की अवधि की गणना में शामिल नहीं किया जाएगा। (14) अपील के निपटारे पर, अपीलीय प्राधिकरण अपने द्वारा पारित आदेश को अपीलार्थी, प्रतिवादी को सूचित करेगा।

और न्यायनिर्णायक प्राधिकारी को।

(15) अपीलीय प्राधिकरण द्वारा पारित आदेश की एक प्रति क्षेत्राधिकार आयुक्त या इस संबंध में उनके द्वारा नामित प्राधिकरण और क्षेत्राधिकार आयुक्त को भी भेजी जाएगी। राज्य कर या केंद्र शासित प्रदेश कर आयुक्त या

इस निमित्त उसके द्वारा निर्दिष्ट प्राधिकारी।

(16) इस धारा के तहत पारित प्रत्येक आदेश, धारा 108 या धारा 113 या धारा 117 या धारा के प्रावधानों के अधीन होगा।

118 अंतिम और पक्षों के लिए बाध्यकारी होना।

11. प्रतिवादी के पास धारा 107 के तहत एक वैधानिक उपाय था। उपचार का लाभ उठाने के लिए, प्रतिवादी ने अनुच्छेद 226 के तहत एक याचिका दायर की। एक वैकल्पिक उपचार का अस्तित्व [2021] 7 एस. सी. आर. के अनुच्छेद 226 के तहत एक रिट याचिका की निरंतरता नहीं है।

संविधान। लेकिन एक रिट याचिका पर असाधारण रूप से विचार किया जा सकता है। ऐसी परिस्थितियाँ जहाँः

((i) मौलिक अधिकारों का हनन;

((ख) प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों का उल्लंघन;

((ग) अधिकारिता की अधिकता; या

((iv) कानून या प्रत्यायोजित विधान के अधिकारों को चुनौती देना।

12. वर्तमान मामले में, उपरोक्त में से कोई भी अपवाद स्थापित नहीं किया गया था। वास्तव में, प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों का कोई उल्लंघन नहीं हुआ था क्योंकि इसके प्रभारी व्यक्ति को नोटिस दिया गया था।

परिवहन। इस पृष्ठभूमि में, यह उच्च न्यायालय के लिए उचित नहीं था

एक रिट याचिका पर विचार करने के लिए। तथ्यों का मूल्यांकन अपीलीय प्राधिकरण द्वारा किया जाना चाहिए। वास्तव में, उच्च न्यायालय ने यह अभ्यास करते हुए अनुमानों के आधार पर कार्रवाई की है। हालाँकि, चूंकि हम धारा 107 के तहत वैकल्पिक वैधानिक उपचार की खोज के लिए प्रतिवादी को हटाने के लिए इच्छुक हैं, इसलिए यह न्यायालय प्रतिवादी के मामले के गुण-दोष पर कोई टिप्पणी नहीं करता है।

13. उपरोक्त कारणों से, हम अपील की अनुमति देते हैं और उच्च न्यायालय के विवादित आदेश को खारिज कर देते हैं। द्वारा दायर रिट याचिका

प्रतिवादी को बर्खास्त कर दिया जाएगा। तथापि, यह प्रत्यर्थी को उस कार्रवाई के संबंध में शिकायत को आगे बढ़ाने के लिए उपयुक्त उपायों का सहारा लेने से नहीं रोकेगा जो सी. जी. एस. टी. अधिनियम की धारा 107 के संदर्भ में उपलब्ध हैं जो राज्य द्वारा इस मामले में अपनाई गई है।

वर्तमान मामला।

14. लंबित आवेदन, यदि कोई हों, का निपटारा कर दिया जाता है।

अंकित ज्ञान

अपील की अनुमति दी गई।